राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1285/2021

रोहिताश **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, भू–जल विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, भू–जल विभाग, न्यू पावर हाऊस रोड़, जोधपुर (राज.)।
3. सहायक अभियंता, भू–जल विभाग, सीकर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.02.2021

आदेश की दिनांक : 09.06.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश क्रमांक 347, 348, 349 एवं 350 दिनांक 04.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त आदेश की पालना में यदि कोई वसूली की जाती है तो उसे रोके जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी कार्यालय सहायक अभियंता, भू–जल विभाग, सीकर हैल्पर के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा जिन कार्मिकों को पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है और उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.05.1998 के द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान

का लाभ दिनांक 22.03.1998 से दिया गया। अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 22.03.1998 के द्वारा वेतनमान 3200–4900 दिनांक 22.03.1998 से दिया गया एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे आदेश दिनांक 25.04.2007 के द्वारा तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 5000–8000 दिनांक 22.03.2007 से दिया गया और अपीलार्थी की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर अपीलार्थी दिनांक 31.08.2020 से सेवानिवृत्त हो गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 347 एवं 348 दिनांक 04.12.2020 जारी किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी के द्वितीय चयनित वेतनमान को निरस्त कर दिया गया और उसे वेतनमान 2750–4400 दिनांक 22.03.1998 से निर्धारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 348 व 350 दिनांक 04.12.2020 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान 5000–8000 दिया गया था, उसे भी निरस्त कर दिया गया और वेतनमान 1950–4475 दिनांक 22.03.2007 से निर्धारित कर दिया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली जारी की गई। जबकि अपीलार्थी को सुनवाई के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। इस प्रकार आदेश जारी किया जाना डॉ. चंद्रा अरोडा बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. (यू.सी) वोल्यूम 2 पेज 194 में इस तरीके के आदेश को उचित नहीं माना है। जबकि अपीलार्थी द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। शीर्षस्थ न्यायालयों द्वारा भी पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 वोल्यूम 4 एस.सी.सी. पेज 334 पैरा 18 में ऐसी वसूली को रोका गया है, जिसमें 5 वर्ष से अधिक समय बाद वसूली की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश क्रमांक 347, 348, 349 एवं 350 दिनांक 04.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त आदेश की पालना में यदि कोई वसूली की जाती है तो उसे रोके जाने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश क्रमांक 347 दिनांक 04.12.2020 द्वारा कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत द्वितीय चयनित वेतनमान 3200–4900 को निरस्त करते हुए पुनः आदेश क्रमांक 349 दिनांक 04.12.2020 द्वारा संशोधित द्वितीय चयनित वेतनमान 2750–4400 स्वीकृत किया गया क्योंकि कर्मचारी राजस्थान भू–जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 के अनुसार द्वितीय चयनित वेतनमान हेतु सहायक वेदक के पद की योग्यता पूर्ण नहीं करता है। इस कारण विद्यमान वेतनमान स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार तृतीय चयनित वेतनमान 5000–8000 को

निरस्त करते हुए संशोधित तृतीय चयनित वेतनमान 2950–4475 दिनांक 22.03.2007 से स्वीकृत किया गया क्योंकि अपीलार्थी उक्त पद की योग्यता पूर्ण नहीं करता है और उक्त संशोधन पश्चात् किए गए अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन स्वीकृति हेतु पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया गया था, जिसमें वित्तीय सलाहकार से कराने हेतु प्रकरण पुनः विभाग को लौटा दिया गया, जिसके कारण अपीलार्थी के चयनित वेतनमानों का संशोधन किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी हैल्पर के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा जिन कार्मिकों को पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.05.1998, 22.03.1998 एवं 25.04.2007 के द्वारा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर अपीलार्थी दिनांक 31.08.2020 से सेवानिवृत्त हो गया। जहां तक अपीलार्थी की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ संशोधित करते हुए प्रदान किए जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सहायक वेधक के पद की योग्यता नहीं रखता है। जबकि सहायक वेधक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता 10वीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण अथवा हैल्पर के पद पर 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध अनुलग्नक ए/11 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा 10वीं कक्षा की वर्ष 1992 की अंकतालिका में सप्लीमेण्ट्री अंकित है और वर्ष 1993 में सेकेण्ड चांस सप्लीमेण्ट्री में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका में *''सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1993 में उत्तीर्ण''* अंकन किया गया है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त पद की योग्यता रखता है और उक्त पद का वेतन परिलाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, परंतु उक्त योग्यता न होने के कारण उसके वेतन को पुनर्निधारण कर अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश जारी किए

गए हैं, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश क्रमांक 347, 348, 349 एवं 350 दिनांक 04.12.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.02.2021 की सम्पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य